मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर रिफाइनरी कार्मिकों में उत्साह दिखा

श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाई

बालोतरा, 10 जनवरी (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बालोतरा जिले में पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया एवं समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकार एवं रिफाइनरी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बस में बैठ कर रिफाइनरी के विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ड्यूल फीड क्रेकर यूनिट का अवलोकन किया। जिसमें बुर्ज खलीफा से भी अधिक कंक्रीट का उपयोग हुआ है। रिफाइनरी के एक तिहाई श्रमिक (लगभग नौ हजार) इसी यूनिट में काम करते हैं।**
- **भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी व इसके आस-पास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने रिफाइनरी परिसर में ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिये एच.आर.आर.एल. के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये।**

रिफाइनरी परिसर में मुख्यमंत्री ने हाईटेंशन मोटर के जरिए कम्प्रैस्ड एयर नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन भी किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के समीप सांभरा ग्राम में एच.आर.आर.एल. द्वारा ईएससी फंड के माध्यम से बनाए जा रहे स्कूल एवं अस्पताल को शीघ्र शुरू किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी परिसर में ड्यूल फीड क्रेकर यूनिट का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस यूनिट के निर्माण में बुर्ज खलीफा से अधिक कंकरीट का उपयोग हुआ है। यह रिफायनरी का सबसे बड़ा प्लांट भी है, जहाँ, रिफायनरी के एक तिहाई श्रमिक (लगभग 9 हजार) काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कोक डोम और ट्रीटिंग यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान शर्मा ने श्रमिकों के साथ बातचीत की तथा उनके साथ फोटो खिंचवाई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पचपदरा में एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के साथ बातचीत भी की।

मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिफायनरी और आस-पास के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें।

मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को एक विशेषाधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए, जो कि 15 दिन में रिफाइनरी परियोजना के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट बनाए।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के मॉडल का अवलोकन भी किया और रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्नोई, राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत, विधायक हमीर सिंह भायल, आदुराम मेघवाल, प्रियंका चौधरी, अरूण चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पैट्रोलियम टी. रविकांत, रीको प्रबन्ध निदेशक इन्द्रजीत सिंह, एच.आर.आर.एल. के निदेशक एस. भारतन, सीईओ कमलाकर आर विखर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

'मस्जिद के समीप के कुएं पर यथास्थिति बनाए रखें'

- **सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाहीजामा मस्जिद के कुएं पर नगर पालिका के नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है।**

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर, विवादित संभल मस्जिद के पास के कुएं का इस्तेमाल करने के लिए स्थानीय नगर पालिका की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस को 21 फरवरी, 2025 तक लागू नहीं करने और दो सप्ताह में स्थिति का विवरण पेश करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने संभल शाही जामा मस्जिद समिति की याचिका पर यह आदेश पारित किया। पीठ ने संभल नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि वे पोस्टरों के माध्यम से जारी किए गए अपने सार्वजनिक नोटिस को लागू न करें, जिसमें शाही जामा मस्जिद के पास के कुएं को हरि मंदिर का कुआं बताया गया है तथा वह श्रद्धालुओं की पूजा व स्नान के लिए बनाया गया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष राज्य सरकार ने कहा कि उस जगह के आसपास की स्थिति शांतिपूर्ण थी, लेकिन आवेदक ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस पर मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि नगर पालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्नान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहा गया है।

पीठ ने कहा कि यदि दूसरा पक्ष भी कुएं का उपयोग करता है तो कोई नुकसान नहीं है। यूपी सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुआं सार्वजनिक जमीन पर है, पर मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि कुएं का आधा हिस्सा अंदर और आधा बाहर है, लेकिन राज्य सरकार पक्षपातपूर्ण रुख अपना रही है।

पुणे कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत में अपील की थी। अदालत में 25000 रुपए के निजी मुचलके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत दी है कि जब तक यह मामला चल रहा है,राहुल गांधी सावरकर पर कोई बयान न दें।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मातृ भाषा में शिक्षा मिलने के कारण सिर्फ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि राजस्थान अपनी संस्कृति भी खोता जा रहा है क्योंकि भाषा के लुप्त होने की वजह से हजारों सालों के अनुभव और समृद्ध संस्कृति का ह्रास होता है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था।

दिल्ली के बाकी प्रत्याशी तय करने के लिए भाजपा की बैठक

- **मोदी, अमित शाह, राजनाथ व नड्डा भी बैठक में शामिल हुए।**

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केन्द्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की शुक्रवार देर शाम यहां पार्टी मुख्यालय पर एक अहम बैठक बुलाई गयी, जिसमें बाकी उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिये जाने की उम्मीद है।

पार्टी दिल्ली की 70 विधान सभा सीटों में से 29 के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नयी विधान सभा के चुनाव की गजट अधिसूचना आज जारी हो चुकी है और नामांकन 17 जनवरी तक दाखिल किए जाएंगे। भाजपा सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में दिल्ली विधानसभा की बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए जाएंगे। भाजपा द्वारा अब तक घोषित 29 प्रत्याशियों में बाहरी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का भी नाम है। पार्टी ने वर्मा को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उतारा है।

'ई-सिगरेट की बिक्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसे हैरानी हुई कि राजस्थान सरकार की क्राइम ब्रांच ने इन सवालों के जवाब देने के लिये कोई भी रिकॉर्ड बरकरार नहीं रखा है, इससे साबित होता है कि राज्य सरकार इससे बेपरवाह है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में कई दस्तावेज रिकॉर्ड पर हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार को बार-बार कहा गया कि ई-सिगरेट रोकने के लिये कार्रवाही करें, लेकिन इसे रोकने के लिये केवल कागजी कार्रवाही की गई है। अदालत ने कहा कि कमिश्नरेट के 2022 में दायर शपथ पत्र से ये ही जाहिर होता है कि ई-सिगरेट की बिक्री रोकने के लिये विभाग कोई मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस विभाग की अपनी सीमाएं हैं। अदालत ने कहा कि चूँकि शपथ पत्र दायर किये काफी समय हो गया है, उन्हें नया शपथ पत्र पेश करना होगा। अदालत ने कहा कि अगली तारीख पर जो अफसर ई-सिगरेट की बिक्री को मॉनिटर करने के लिये नियुक्त किये जायें, वे वी.सी. के जरिये अदालत में उपस्थित रहें। इस मामले में अगली तारीख 1 फरवरी 2025 तय की गई है।

अश्विन अब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जाने गंवाई। पुराने लोग याद करते हैं कि तब राज्य में कांग्रेस सरकार थी, हिंदी सम्बंधी फैसले ने राज्य में कांग्रेस को खलनायक बना दिया और उसके बाद द्रविड पार्टियां सत्तारुढ़ हुईं और तब से लेकर आज तक कांग्रेस अपने दम पर राज्य में पुन: सत्ता में नहीं आ पाई है।

कांग्रेस को राज्य में किसी न किसी द्रविड़ पार्टी के साथ गठबंधन करना ही पड़ता है, कभी द्रमुक से, तो कभी अन्नाद्रमुक से। फिलहाल दो दशक से कांग्रेस का द्रमुक से गठबंधन है।

अश्विन की टिप्पणी से तमिलनाडु में उनके प्रशंसक अवश्य बढ़ गए होंगे।

कड़ाके की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विलंबित हैं और 26 ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि भारतीय समयानुसार तड़के साढ़े चार बजे से पालम में दृश्यता शून्य है।

मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के अनेक इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान जताया है।

इस बीच राज्य के अनेक इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 11 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है।

ट्रम्प पहले अमरीकी राष्ट्रपति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुक्त होकर व्हाइट हाउस जा सकेंगे।

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के लिए मजबूर करने के अपराध में दोषी करार दिया गया था। ट्रंप एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति (वर्तमान या पूर्व) हैं, जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रम्प की ओर से कार्यवाही को रोकने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। इसी के साथ, मैनहट्टन में न्यूयॉर्क राज्य की अदालत में सजा सुनाने का रास्ता खुल गया था।

ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्हें सजा सुनाया जाना एक ऐसा आश्चर्यजनक विरोधाभास पैदा करता हैं, जिसका गवाह अमेरिका पहले नहीं है। कुछ ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की विशाल शक्तियां और देश के कानूनों और संविधान के अंतिम संरक्षक बनने वाले हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908